न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : महीपाल सिंह आर0ए0एस0

नम्बर संख्या : 188/2020 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. अर्जुनसिंह पुत्र श्री खुमाणसिंह राजपूत निवासी – बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. अभिमन्युसिंह पुत्र श्री आजादसिंह राजपूत नाबालिग जरिये माता श्रीमती रंजनाकंवर पत्नी श्री आजादसिंह राजपुत निवासी – बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
3. वैशालीकंवर पुत्री श्री आजादसिंह राजपूत नाबालिग जरिये माता श्रीमती रंजनाकंवर पत्नी श्री आजादसिंह राजपुत निवासी – बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
4. श्रीमती रंजनाकंवर पत्नी श्री आजादसिंह राजपुत निवासी – बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. बलवीरसिंह पुत्र श्री मानसिंह राजपूत निवासी – बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
6. बनुसिंह पुत्र श्री भीमसिंह राजपूत निवासी – बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
7. किशनसिंह पुत्र श्री मानसिंह राजपूत निवासी – बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)

——————प्रार्थी गण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——————अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पैरोकार सरकार विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 21–1–21

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 20.10.2020 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा बैरा पटवार मण्डल बैरा तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 518 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई गलीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से आराजी नम्बर 2597/517 बिलानाम काबिल काश्त से अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है । आराजी नम्बर 2597/517 रकबा 2–09 बीघा किस्म बी.ब. बिलानाम काबिल काश्त के मेर के सहारे–सहारे 16 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है ।

न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2020 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का चयन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाडा)

दिनांक 22.10.2020 को प्रकरण में हल्का पटवारी बैरा द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्षा प्रस्तावित नक्षा ट्रेस , एंव जमाबन्दी शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि मौजा बैरा के आराजी न0 2597/517 रकबा 2–09 बीघा मे से 0–02–10 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है । राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट मनिमन्सा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

परन्तु तहसील कार्यालय बनेडा से हल्का पटवारी बैरा की मार्फत प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है जो निम्न है –

1. ग्राम बेरा की आराजी नम्बर 2831/516 रकबा 1–00 बीघा बारानी तृतीय भूमि खातेदार रतनकंवर बेवा मनोहरसिंह , नरपतसिंह पिता मनोहरसिंह राजपुत के नाम दर्ज है तथा आ.न. 2597/517 रकबा 2–09 बीघा किस्म बी.ब. बिलानाम गैर काबिल काश्त खाते मे दर्ज रेकार्ड है ।

2. आ.न. 518 मे आने जाने बाबत् लघुत्तम रास्ता 2831/516 के मध्य सें होकर है जिसकी लम्बाई 15 गठा एंव चौडाई 2 गठा है ।

3. वादी द्वारा 518 मे आने जाने बाबत् लघुत्तम रास्ता 2597/517 मे से आ.न. 518 पर पहुचने वास्ते रास्ते की लम्बाई 25 गठा एंव चौडाई 2 गठा है । इस प्रकार रास्ते बाबत् 0.02.10 बीघा भूमि काम आयेगी ।

4. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर की प्रति साथ मे संलग्न है ।

मैने पत्रावली का उद्योपांन्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 16 फिट का रास्ता चाहा गया था । इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा बेरा की आराजी नं0 2597/517 रकबा 2–09 बीघा मे से 0–02–10 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है । प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी आराजी नम्बर 2597/517 आबादी से 1/2 कि.मी दूर व सडक से 1 कि.मी. दूर है जिसकी डीएलसी दर 79674/– रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से 0–02–10 बीघा भूमि की मालियत 9960/– रूपये बनती है ।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाड़ा)

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। एंव मौजा बेरा की आराजी नं0 2597/517 रकबा 2–09 बीघा मे से 0–02–10 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाते है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित उक्त बैरा की आराजी नं0 2597/517 रकबा 2–09 बीघा मे से 0–02–10 बीघा का जिसे नक्षा ट्रेस में अंकित किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवायी जाकर हल्का पटवारी बेरा के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा बैरा पटवार मण्डल बैरा तहसील बनेडा स्थित आराजी नं0 518 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा मे पहुंचने हेतू ग्राम बेरा की आराजी नं0 2597/517 रकबा 2–09 बीघा किस्म बी.ब. बिलानाम काबिल काश्त मे से 0–02–10 बीघा मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दरों की दुगुनी राशि (0–02–10 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर में दर्ज की जाकर फैसल शुमार हो।

(महीपालसिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)